50

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक :558-दो/2006 - विरूद्ध आदेश दिनांक 18-12-2005 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना- प्रकरण क्रमांक 65/1995-96 अपील

बाबूराम शर्मा बल्द विद्याराम शर्मा
ग्राम विरगवॉ तहसील मेहगॉव
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूद्ध

1- दामोदर 2- दयाशॅकर 3- अरूणकुमार
पुत्रगण ऋषिकेश

4- विद्याराम पुत्र हुव्वालाल फोत वारिस
1. ऋषिकेष
2. कमलेश पुत्रगण ऋषिकेश
निवासीगण ग्राम विरगवॉ तहसील मेहगॉव
3. कैलासी पुत्री ऋषिकेश पत्नि सुमतिनारायण
ग्राम सितौरा तहसील व जिला इटावा उ.प्र.
4. विशुना पुत्री ऋषिकेश पत्नि सेवादास शर्मा
ग्राम दुल्हागण तहसील अटेर जिला भिण्ड

5- नारायण प्रसाद पुत्र रामदयाल फोत वारिस
1. दिनेश पुत्र स्व.नारायण प्रसाद हाल निवासी
पहाडिया के पास छोटी दुर्गामाता मंदिर के पास
महलगॉव तहसील व जिला ग्वालियर
2. हरीओर 3. सियाराम उर्फ सितम्बर पुत्रगण
स्व.नारायणप्रसाद ग्राम विरगवां तहसील मेहगांव

6- रामस्वरूप पुत्र रामदयाल फोत वारिस
1. कल्लू
2. राजकुमार पुत्रगण स्व.रामस्वरूप
3. श्रीमती चमेलीवाई पत्नि स्व.रामस्वरूप
ग्राम विरगवां तहसील मेहगांव जिला भिण्ड
4. श्रीमती मलुका पुत्री स्व.रामस्वरूप पत्नि
रबिन्द्र त्रिपाठी ग्राम बरोहरी तहसील भिण्ड
5. श्रीमती राजकुमारी पुत्री स्व.रामस्वरूप पत्नि

कमलेश ग्राम जौरी ब्राहमण तहसील मेंहगॉव
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री जे0एस0गौड़)
(आवेदकगण के अभिभाषक श्री जे0पी0श्रीवास्तव)

आ दे श
(आज दिनांक 2 – 08–2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्र0क0 65/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 18–12–2005 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम विरगवॉ स्थित खाता कमांक 305, 306 पर धारित कुल भूमि 2.154 हैक्टर के विद्याराम पुत्र हुब्बलाल ब्राहमण हिस्सा 1/3 के भागीदार थे जिन्होंने पॅजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28–12–1992 से हिस्सा 1/3 की भूमि दामोदर, दयाशॅकर, अरूणकुमार पुत्रगण ऋषिकेश को विक्रय कर दी। विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 4 पर आदेश दिनांक 2–3–93 से राजस्व निरीक्षक ने केतागण का नामान्तरण कर दिया। नामान्तरण आदेश दिनांक 2–3–93 के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव ने प्रकरण कमांक 47/1992–93 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–10–1995 से अपील निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के आदेश दिनांक 30–10–1995 के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 65/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 18–12–2005 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अनावेदक क–1 से 3 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस के साथ अधीनस्थ न्यायलय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम विरगवॉ स्थित खाता

कमांक 305, 306 की कुल भूमि 2.154 हैक्टर के विद्याराम पुत्र हुब्बलाल ब्राहमण हिस्सा 1/3 के भागीदार थे, जो आवेदक के पिता है किन्तु यह भूमि विद्याराम की स्वअर्जित भूमि नहीं है अपितु पैत्रिक भूमि है जिसमें विद्याराम के पुत्र/पुत्रियों का भी हिस्सा है जिसके कारण उन्हें संपूर्ण हिस्सा 1/3 के विक्रय का अधिकार नहीं था। आवेदक के पिता विद्यारांम ने भूमि स्वयं के पुत्र ऋषिकेश के तीन पुत्रों के नाम विक्रय पत्र संपादित किया है । विक्रय पत्र होने के वाद पटवारी को नामान्तरण पर आपत्ति दे दी थी किन्तु हलका पटवारी ने बैक डेट में राजस्व निरीक्षक से नामान्तरण प्रमाणित करवा लिया तथा परिवार के अन्य सदस्यों को व्यक्तिगत सूचना जारी नहीं की गई है। नामांत्रण नियमों का पालन नहीं हुआ है इन तथ्यों पर अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त ने ध्यान नहीं दिया है इसलिये निगरानी स्वीकार की जावे।

अनावेदक के अभिभाषक ने बताया है कि भूमि 2.154 हैक्टर के हिस्सा 1/3 सहभागीदार विद्याराम की स्वअर्जित भूमि है। जिन्होंने पंजीकृत विक्रय पत्र से भूमि विक्रय की है पॅजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण किया गया है। नामान्तरण के पूर्व ग्राम में इस्तहार का विधिवत प्रकाशन किया गया है । तीन न्यायालयों के निष्कर्ष एकसमान है इसलिये निगरानी निरस्त की जावे।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने, ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 4 पर आदेश दिनांक 2-3-93 से राजस्व निरीक्षक व्दारा किये गये नामान्तरण की प्रमाणित प्रतिलिपि, अनुविभगीय अधिकारी मेहगॉव के आदेश दिनांक 30-10-1995 , अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 18-12-2005 में आये तथ्यों पर विचार किया गया तथा प्रकरण में प्रस्तुत माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 मेहगॉव जिला भिण्ड के प्रकरण कमांक 275 ए/98 ई0दी0 में पारित आदेश दिनांक (छायाप्रति में अपठनीय संभवतः 13-3-2013) में आवेदक व्दारा अनावेदकों पर दायर व्यवहार वाद का निराकरण हुआ है इस आदेश का पद 16 इस प्रकार है -

16- **प्रकरण में निर्मित वाद प्रश्नों पर की गई विवेचना से वादी का वाद प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाता है एंव निम्न आशय की डिकी पारित की जाती है -**

1. वादी विवादित भूमि ग्राम विरगवां जो वाद पत्र के पद कमांक 1 में वर्णित की गई है, प्रथम खाता व द्वित्तीय खाते में प्रतिवादी कमांक 2,3 व 7,8 के साथ समान भाग का सहस्वामी होकर आधिपत्यधारी है।

2. विकय पत्र दिनांक 28—2—92 जो मृतक प्रतिवादी क्रमांक 1 व्दारा प्रतिवादी क्रमांक 4,5,6 के हक में किया गया है, वह वादी के हक सीमा तक प्रभावशून्य है।
3. प्रकरण परिस्थितियों के अनुसार उभय पक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
4. अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर तालिका अनुसार जो भी कम हो जोड़ी जावे।
5. तदनुसार डिकी बनाई जावे।

माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है एंव माननीय माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 मेहगॉव के आदेश दिनांक (छायाप्रति में अपठनीय संभवतः 13—3—2013) के प्रभावशील होने से राजस्व निरीक्षक व्दारा ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 4 पर आदेश दिनांक 2—3—93 से किया गया नामान्तरण, अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव का आदेश दिनांक 30—10—1995 , अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश दिनांक 18—12—2005 प्रभावशून्य हो गये है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 65/1995—96 अपील में पारित आदेश दिनांक 18—12—2005 , अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव व्दारा प्रकरण कमांक 47/1992—93 अपील में पारित आदेश दिनांक 30—10—1995 तथा राजस्व निरीक्षक व्दारा ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 4 पर आदेश दिनांक 2—3—93 से केतागण के हित में किया गया नामान्तरण निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार मेहगॉव की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि (यदि इस आदेश की व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ न्यायालयों में अपील हुई हो, अपीलीय न्यायालयों के आदेशों की प्रति) एंव अन्य जानकारी प्राप्त करलें तथावह दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पक्षकारों नामान्तरण हेतु पुनः विधिवत् कार्यवाही करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर